# ग्राम पंचायत ढसोली, विकास खण्ड फतेहपुर जिला काँगडा, हि॰ प्र॰ –176021 के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## भाग–एक

1. **(क)प्रस्तावना**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत ढसोली, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगडा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रथम बार किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–**

**प्रधानः–**

| क्र॰स॰ | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री राकेश कुमार | 01.04.2021 से 31.03.2023 |

**सचिव :–**

| क्र॰स॰ | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री जनेद्र सिंह | 01.04.2021 से 15.12.2021 |
| 2 | श्री इन्द्र सिंह | 16.12.2021 से 05.03.2022 |
| 3 | श्रीमती राणो देवी | 06.03.2022 से 13.07.2022 |
| 4 | श्री शशी कुमार | 14.07.2022 से 31.03.2023 |

**तकनीकी सहायक :–**

| क्र•स• | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री सुशील कुमार | 01.04.2021 से 31.03.2023 |

**ग्राम रोजगार सहायक :–**

| क्र•स• | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमती सपना शर्मा | 01.04.2021 से 31.03.2023 |

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–**

ग्राम पंचायत ढसोली के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

| क्र0 सं0 | पैरा सं• | अनियमितता का संक्षिप्त सार | राशि (₹ लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.1 | अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना | 27.03 |
| 2 | 7.1 | पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना | 0.15 |
| 3 | 8.1 | क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना। | 4.93 |
| 4 | 8.2 | औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक का क्रय करना | 0.25 |
| 5 | 8.3 | खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना | 0.23 |
| 6 | 10 | माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना | 5.32 |
| 7 | 11 | बिल/वाउचर मौजूद न होना | 0.26 |

## भाग–दो

**2. वर्तमान अंकेक्षणः–**

ग्राम पंचायत ढसोली के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री दीपक सिंह पठानियां, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 30.01.2024 से 03.02.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया

गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः–

| वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|
| 2021–22 | 05/2021 | 03/2022 |
| 2022–23 | 05/2022 | 05/2022 |

**अस्वीकरणः–वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।**

**3. अंकेक्षण शुल्कः–**

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/– आंका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2024/–61 दिनांक 03.02.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि कांगडा केन्द्रीय सहकारी बैंक राजा का तालाब के मल्टीसिटी चैक संख्या 661189 दिनांक 14.02.2024 द्वारा निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

**4.1 (क).वित्तीय स्थितिः–**

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2023/–55 दिनांकः 30.01.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है:–

**1.स्व–स्त्रोत:–**

| अवधि | अथशेष (₹) | प्राप्ति (₹) | योग (कॉलम 2+3) (₹) | व्यय (₹) | अन्तशेष (कॉलम 4–5) (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021-22 | 195455.27 | 6863.00 | 202318.27 | 44338.00 | 157980.27 |
| 2022-23 | 157980.27 | 563347.00 | 721327.27 | 335757.00 | 385570.27 |

**2.अनुदान:–**

| अवधि | अथशेष (₹) | प्राप्ति (₹) | योग (₹) (कॉलम 2+3) | व्यय (₹) | अन्तशेष (₹) (कॉलम 4–5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021-22 | 1884918.68 | 2443950.70 | 4328869.38 | 2025364.70 | 2303504.68 |
| 2022-23 | 2303504.68 | 3043126.50 | 5346631.18 | 2643672.50 | 2702958.68 |

**कुल योग (1+2)** 385570.27+2702958.68 **= 3088528.95**

**(ख). बैंक समाधान विवरणी:–**

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2023 को रोकड़बही/वित्तीय स्थिति से ₹3088528.95 तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष ₹3088528.95 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार है:–

| | **बैंक खातों की विवरणी:–** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **क्र** | **विवरण** | **बैक** | **खाता** | **अन्त शेष (₹)** |
| 1 | स्व:स्त्रोत/5वां वित/एस•डी•पी | का•के•सह•बैंक राजा का तालाब | 20030005458 | 385570.27 |
| 2 | तीसरा वित | का•के•सह•बैंक राजा का तालाब | 50051390713 | 173929 |
| 3 | एम.पी.लेड | का•के•सह•बैंक राजा का तालाब | 50051779210 | 3657 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | वी.के.वी.एन.वाई | का•के•सह•बैंक राजा का तालाब | 50051390576 | 35907 |
| 5 | एस.डी.पी | का•के•सह•बैंक राजा का तालाब | 50051390496 | 261608 |
| 6 | ए.ए.वाई | का•के•सह•बैंक राजा का तालाब | 50051390269 | 1732 |
| 7 | जेड.पी | का•के•सह•बैंक राजा का तालाब | 50051390474 | 16040.42 |
| 8 | एस.बी.एम. | का•के•सह•बैंक राजा का तालाब | 50051390543 | 0 |
| 9 | 14वाँ वित्तायोग | का•के•सह•बैंक राजा का तालाब | 50062941295 | 143174.26 |
| 10 | 15वाँ वित्तायोग | का•के•सह•बैंक राजा का तालाब | 50071774468 | 2066911 |
| 11 | हस्तगत शेष | | | 0 |
| बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योगः– | | | | ₹3088528.95 |
| दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :– | | | | |
| रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4) अन्तशेषः– | | | | ₹3088528.95 |
| पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 का परिशिष्ट "7" अनुसार अन्तशेषः– | | | | ₹3088528.95 |
| अन्तरः– | | | | शून्य |

## (ग) लेखा खाता /खाताबही तैयार न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस–किस कार्य हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व किस–किस कार्य पर कितना–कितना व्यय हुआ है तथा किस कार्य को पूरा किया जा चुका है। यह एक गम्भीर अनियमितता है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/57 दिनांकः 02.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में

पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–124 दिनांक 03.02.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जा रहे है। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जायें व कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

## 5 निवेश न करने बारेः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियो को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्टीकृत बैंक , सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियो में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति एवं परिशिष्ट–7 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के निधि खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹195455.27 से ₹385570.27 तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनो की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पडा है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/57 दिनांकः–02.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–124 दिनांक 03.02.2024 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त

बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप–1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

## 6.1 अनुदान की राशि ₹27.03 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियो को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एंम मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां /2023/–55 दिनांकः–30.01.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2023 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹2702958.68/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

| क.स. | अनुदान का नाम | दिनांक | राशि (₹) |
|---|---|---|---|
| 1. | तीसरा वित्त | 31.03.2023 | 173929 |
| 2 | जेड.पी | 31.03.2023 | 16040.42 |
| 3 | ए.ए.वाई | 31.03.2023 | 1732 |
| 4 | एम.पी.लेड | 31.03.2023 | 3657 |
| 5 | बी.के.वी.एन.वाई | 31.03.2023 | 35907 |
| 6 | एस.डी.पी | 31.03.2023 | 261608 |
| 7 | 14वाँ वित्तायोग | 31.03.2023 | 143174.26 |
| 8 | 15वाँ वित्तायोग | 31.03.2023 | 2066911 |
| | | **कुल जोड** | 2702958.68 |

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से यह पंचायत पीछे है। विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था परन्तु ऐसा न होने के

कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/57 दिनांकः 02.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्यः–124 दिनांक 03.02.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अनुपयोग अनुदान राशि को आगामी वर्षो में खर्च कर लिया जायेगा।

अतः अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्येश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

## 6.2 अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त ,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः भविष्य में नियमो के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन(Update) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखाकंन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

## 7.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.15 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत द्वारा सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/–55 दिनांकः 30/01/2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "3"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्ति कर/गृहकर की मद में ₹14840/– की राशि दिनांक 31.03.2023 को वसूली हेतु शेष थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गंभीर नहीं है। सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/57 दिनांकः 02.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–124 दिनांक 03.02.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जा रही है। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा अवधि 2022–23 में सम्पत्ति कर/गृहकर से कुल राशि ₹96000 की प्राप्ति की गई परन्तु बैंक में ₹150 (96000–95850) कम जमा करवाये गये, जिसकी वसूली रसीद सख्यां 0508734 द्वारा दिनांक 05.02.2024 को करके खाता संख्या 20030005458 में जमा करवा दिया गया है एवं जिसकी अंकेक्षण पुष्टि कर ली गई है। अतः ऐसे प्रकरणों की पुनरावृति पर रोक लगाने हेतु आवश्यक कारगर कदम उठाये जायें।

**7.2 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः–**

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित

दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है तथा जिसे समय–समय पर वसूल करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235–00–800–03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत ढसोली द्वारा अंकेक्षावधि के दौरान निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था:–

| क.संख्या | वित्तीय स्थिति | विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹) |
|---|---|---|
| 1. | 2021–22 | 1200 |
| 2 | 2022–23 | 4000 |
| | जोड | 5200 |

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/57 दिनांकः 02.02.2024 के अंतर्गत सचिव, ग्राम पंचायत ढसोली के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–124 दिनांक 03.02.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जायेगा।

अतः प्रश्नात्मक राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

## 8.1 क्रय किये गये सामान राशि ₹4.93 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत ढसोली के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरो के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"5"** पर संकलित राशि ₹4,93,299/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टॉक रजिस्टरो में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका। प्रत्येक क्रय सामग्री को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में समुचित लेखांकन के फलस्वरूप स्टॉक में रिसन/धन के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

इस अनियमितता बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/59 दिनांकः 02.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–124 दिनांक 03/02/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से स्टॉक प्रविष्टियां की जा रही है। प्रस्तुत उतर तथ्यों पर आधारित न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

## 8.2 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.25 लाख के स्टॉक का क्रय करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित है।

ग्राम पंचायत ढसोली के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"5"** में दिए गए विवरणानुसार ₹25488/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

उपरोक्त अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/59 दिनांकः 02/02/2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–124 दिनांक 03/02/2024 द्वारा सूचित किया गया भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके सामान क्रय किया जायेगा। प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया है।

अतः इस अनियमितता बारे नियम प्रावधानों के दृष्टिगत तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाज़ारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**8.3 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करने के फलस्वरूप सरकारी कोष को ₹0.23 लाख की सम्भावित राजस्व हानिः–**

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा।

ग्राम पंचायत द्वारा परिशिष्ट–"6" पर संलग्न चुनिदा वाउचरो के तहत निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी,पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹23030/– का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/59 दिनांकः 02.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–124 दिनांक 03/02/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि गत समय में रॉयल्टी की राशि की कटौती नहीं की गई है, जिसकी वसूली संबंधित संविदाकार/व्यक्ति से करके सरकारी कोष में जमा करवा दी जायेगी। प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म को उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री की राशि का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 प्रतिशत पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः उक्त किये गये अनियमित भुगतान को या तो समर्थित अभिलेख सहित नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस मामले को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये

आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853" नॉन फैरस माइनिंग एवं मेटोलोजिकल इंडस्ट्रीज उप–शीर्ष "102" मिनरल कन्सेशन फीस किराया एवं रायल्टीस "81" खनिज फीस रियायत आदि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। पूर्वोक्त मामलो के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई निर्माण सामग्री हेतु रायल्टी की राशि की संस्था/विभागीय स्तर पर समुचित गणना कर उसकी भी वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 8.4 निविदाओं में अनुमोदित दर की तुलना में अधिक दर से राशि ₹0.03 लाख का भुगतान करना।

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/वाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया जाता है, तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान का वसूली करने का जिम्मेवार होगा।

अंकेक्षण के दौरान नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदानो के अन्तर्गत निम्नलिखित सामान का क्रय किया गया था:–

| अनुदान | वाउचर स0 /दिनांक | आपूर्तिकर्ता | सामान का विवरण | अपेक्षित दर से भुगतान ₹ | किया गया भुगतान ₹ | अधिक भुगतान ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14वां वित | 06/22.05.2022 | मै0 अमर सिंह हरनोटा ज्वाली | वाटर टैंक | 3120 (08@390) | 4800 (08@600) | 1680 |
| 2.मनरेगा | 09/निल | मै0 अमर सिंह हरनोटा ज्वाली | शटरिंग | 3200 (400m2@8) | 4000 (400m2@10) | 800 |
| 3.मनरेगा | निल/17.05.2022 | मै0 हि.प्र.सिविल सप्लाई फतेहपुर | सीमेंट बैग | 29273 (73@401) | 29300 (73@401.37) | 27 |
| 4.मनरेगा | निल/17.05.2022 | मै0 हि.प्र.सिविल सप्लाई फतेहपुर | सीमेंट बैग | 42907 (107@401) | 43088 (107@402.69) | 181 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.मनरेगा | निल / 17.05.2022 | मै0 हि.प्र.सिविल सप्लाई फतेहपुर | सीमेंट बैग | 20451 (51@401) | 20682 (51@405.53) | 231 |
| 6.मनरेगा | निल / 17.05.2022 | मै0 हि.प्र.सिविल सप्लाई फतेहपुर | सीमेंट बैग | 20451 (51@401) | 20682 (51@405.53) | 231 |
| | | | | | कुल योग | 3150 |

उपरोक्त बिल / वाउचरो की निविदाओं (निविदाओ की छायाप्रति को रफ सीट में संलग्न किया गया है) में अनुमोदित दर से भुगतान न करके अधिक दर से ₹3150(2480+670) / – का अधिक भुगतान किया गया था। उक्त अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2023 / –59 दिनांकः 02 / 02 / 2024 के अंर्तगत पंचायत सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसकी वसूली रसीद सख्यां 0508735 से ₹1600 व 0508736 से ₹800 दिनांक 05.02.2024 को खाता संख्या 20030005458 में जमा करवा दिया गया है, जिसकी अंकेक्षण पुष्टि कर ली गई है। इसके अतिरिक्त मै0 हि.प्र. सिविल सप्लाई फतेहपुर को किये गए अधिक भुगतान ₹670 की वसूली करना भी सुनिश्चित की जाये तथा संबंधित शीर्ष में जमा करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

## 9 संयुक्त हस्ताक्षर युक्त भुगतान आदेश के बिना ही ₹5.32 लाख का अनियमित भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल / वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

ग्राम पंचायत के लेखों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त भुगतान आदेश के बिना ही ₹5,32,451 / – (पैरा–10 मे दिखाये गये

व्यय अनुसार) का भुगतान किया गया था जोकि उक्त नियमो की स्पष्ट अवहेलना है, जिसके अभाव में किये गये भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती। यह एक अनियमितता है।

इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/59 दिनांकः–02/02/2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत ढसोली के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या'–124 दिनांक 03.02.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि वतर्मान समय से इन नियमों की अनुपालना की जा रही है। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण स्वीकार्य नहीं है।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानों को न्यायोचित/सही ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

## 10 ₹5.32 लाख के निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे।

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अकेक्षण के दौरान, चयनित माह के व्यय वाउचरो के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार राशि ₹5,32,451/– के निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सकाः–

| क. स. | अनुदान | वाउचर संख्या/दिनांक | निर्माण कार्य का नाम | राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | एस.डी.पी | 01,02/25.03. 2022 | निर्माण रास्ता व पुली सहित नजदीक सोनिका देवी के घर तक | 70299 |
| 2 | 14वां वित | 26–34/22.03. 2022 | सीमेंट बैंच स्थापित | 348400 |
| 3 | मनरेगा | निल/17.05. | भु–संरक्षण बचाव हेतु सुरक्षा दीवार भागीरथ राय | 29300 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | की जमीन वार्ड–1 | |
| 4 | मनरेगा | निल / 17.05. 2022 | भु–संरक्षण बचाव हेतु सुरक्षा दीवार भागीरथ राय की जमीन वार्ड–1 | 43088 |
| 5 | मनरेगा | निल / 17.05. 2022 | भुमि कटाव को रोकने हेतु सुरक्षा दीवार कश्मीर सिंह की जमीन से सुशील इत्यादि तक | 20682 |
| 6 | मनरेगा | निल / 17.05. 2022 | निमार्ण सुरक्षा दीवार सुशील कुमार की जमीन वार्ड–2 | 20682 |
| | | | कुल योग | 532451 |

उक्त निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओ को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत ढसोली से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 59 दिनांकः 02 / 02 / 2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–124 दिनांक 03 / 02 / 2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि आगामी अंकेक्षण में माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। अतः संबंधित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न कर पाने का औचित्य स्पष्ट करते हुये अपेक्षित अभिलेख हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त नियम) 2002 के नियम 101 (2) (iii) की अनुपालना सहित ~~अभिलेख~~ अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

## 11 राशि ₹0.26 लाख के बिल / वाउचर मौजूद न होनाः–

अंकेक्षण के दौरान नरेगा अनुदान के अंतर्गत चयनित माह के वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वाउचर संख्याः– शून्य दिनांक 17.05.2022 को मै0 हि.प्र.सिविल सप्लाई फतेहपुर को सीमेंट खरीद हेतु ₹25853 / – का भुगतान किया गया था। लेकिन उक्त भुगतान की गई राशि से सम्बन्धित बिल / वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 59 दिनांकः 02 / 02 / 2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके उत्तर में पंचायत सचिव ढसोली के कार्यालय पत्र संख्या 124 दिनांक 03.02. 2023 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त बिल / वाउचर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।

अतः बिल/वाउचर दिखाये जाने सुनिश्चित किया जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की उचित स्त्रौत से वसूली करके सम्बन्धित अनुदान में जमा की जानी सुनिश्चित की जाये तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

## 12 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जाँच उपरान्त तथा पैरा संख्या "10" में दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1.नियम 96(1) की अनुपालना में अनुभागी/संकर्म समिति नहीं बनाई गई थी जिसके साथ निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत द्वारा उक्त नियमावली के "परिशिष्ट – ई" में दिए गए "अनुबन्ध" प्रारूप में अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित था।

2.हि• प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (1) (ए) के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है ताकि निर्माण कार्यो में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत ढसोली द्वारा निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया गया व सभी कार्य सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना स्वंय करवाए गए है, जोकि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय– ग्यारह के नियम 93 की अवहेलना है।

3.नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच ;मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/59 दिनांक: 02.02.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत ढसोली को अवगत

करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–124 दिनांक 03/02/2024 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमो की अनुपालना की जा रही है।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

## 13 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि•प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 34 के अंर्तगत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/55 दिनांकः 30.01.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव कार्यालय पत्र संख्याः–124 दिनांक 03/02/2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखो का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी , जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

| क्र0 | रजिस्टर/अभिलेख | फॉर्म संख्या | सन्दर्भित नियम |
|---|---|---|---|
| 1. | निवेश रजिस्टर | 01 | 12 |
| 2. | क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट | 8 | 29(4) |
| 3. | अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर | 09 | 30 |
| 4. | मासिक बैंक समाधान विवरणी | —— | 7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी |
| 5 | वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही | 11 | 37 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है। | | |
| 6 | अनुदान रजिस्टर | 21 | 61(1) |
| 7 | डाक टिकट रजिस्टर | 24 | 61(2) |
| 8 | निर्माण कार्य रजिस्टर | ..... | 103 |
| 9 | स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर | 25 व 26 | 72 (1) ए बी |
| 10 | पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर | ..... | ..... |
| 11 | निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर | 31 | 95(1) |

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इस अभिलेख का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

**14. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः—**

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अतः समय—समय पर स्टोर/स्टोक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/—55 दिनांकः 30.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 124 दिनांक

03/02/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रत्युतर तर्कसंगत प्रतीत नही होता है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

15 **लघु आपति विवरणिकाः**— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

16 **निष्कर्षः**— लेखों के रख रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय–2 पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखाओं के रखरखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

30 MAR 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

1731 – 1735

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)391/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

**पंजीकृत** 5 सचिव, ग्राम पंचायत ढसोली, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

30 MAR 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

ANNEXURE -1 पैरा संख्या "4.1"

FINANCIAL POSITION OF GP DHASOLI FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

1 OWN SOURCES

| YEAR | OPENING BALANCE | RECEIPT DURING YEAR | TOTAL | EXPENDITURE | CLOSING BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 195455.27 | 6863.00 | 202318.27 | 44338.00 | 157980.27 |
| 2022-23 | 157980.27 | 563347.00 | 721327.27 | 335757.00 | 385570.27 |

2 GRANTS-IN-AID

| YEAR | OPENING BALANCE | RECEIPT DURING YEAR | TOTAL | EXPENDITURE | CLOSING BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 1884918.68 | 2443950.70 | 4328869.38 | 2025364.70 | 2303504.68 |
| 2022-23 | 2303504.68 | 3043126.50 | 5346631.18 | 2643672.50 | 2702958.68 |

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Dhasoli
Dev Block Fatehpur Tarapur (M.P.)

22

ANNEXURE -2 (पैरा संख्या -6.1")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP DHASOLI FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

| SR.NO | PARTICULARS | YEAR | OPENING BALANCE | RECEIPT DURING YEAR | TOTAL | EXPENDITURE | CLOSING BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3rd STATE | 2021-22 | 149715.00 | 257501.00 | 407216.00 | 231900.00 | 175316.00 |
| | | 2022-23 | 175316.00 | 161013.00 | 336329.00 | 162400.00 | 173929.00 |
| 2 | ZP | 2021-22 | 15136.42 | 459.00 | 15595.42 | 0.00 | 15595.42 |
| | | 2022-23 | 15595.42 | 445.00 | 16040.42 | 0.00 | 16040.42 |
| 3 | AAY | 2021-22 | 2676.00 | 7008.00 | 9684.00 | 8000.00 | 1684.00 |
| | | 2022-23 | 1684.00 | 48.00 | 1732.00 | 0.00 | 1732.00 |
| 4 | MPLAD | 2021-22 | 3452.00 | 104.00 | 3556.00 | 0.00 | 3556.00 |
| | | 2022-23 | 3556.00 | 101.00 | 3657.00 | 0.00 | 3657.00 |
| 5 | SBM | 2021-22 | 195.00 | 4.00 | 199.00 | 0.00 | 199.00 |
| | | 2022-23 | 199.00 | 1.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 6 | VKVNY | 2021-22 | 8549.00 | 40260.00 | 48809.00 | 0.00 | 48809.00 |
| | | 2022-23 | 48809.00 | 254694.00 | 303503.00 | 267596.00 | 35907.00 |
| 7 | SDP | 2021-22 | 7744.00 | 150236.00 | 157980.00 | 44811.00 | 113169.00 |
| | | 2022-23 | 113169.00 | 299596.00 | 412765.00 | 151157.00 | 261608.00 |
| 8 | 14TH FC | 2021-22 | 1171838.26 | 30155.00 | 1201993.26 | 734820.00 | 467173.26 |
| | | 2022-23 | 467173.26 | 6478.00 | 473651.26 | 330477.00 | 143174.26 |
| 9 | 15TH FC | 2021-22 | 525613.00 | 952390.00 | 1478003.00 | 0.00 | 1478003.00 |
| | | 2022-23 | 1478003.00 | 1514852.00 | 2992855.00 | 925944.00 | 2066911.00 |
| 10 | MNREGA | 2021-22 | 0.00 | 1005833.70 | 1005833.70 | 1005833.70 | 0.00 |
| | | 2022-23 | 0.00 | 805898.50 | 805898.50 | 805898.50 | 0.00 |

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Dhasoli
Dev Block Patamda Sangrur (U.T.)

(परिशिष्ट-"3" पैरा संख्या-7.1)

# कार्यालय ग्राम पंचायत ढ़सोली,विकास खण्ड फतेहपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0176021

**दिनांक 31–03–2023 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–**

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2021–22 में 700 तथा 2022–23 में 720 परिवारों का रु 50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर सेः–

| वितीय वर्ष | अथशेष | परिवार | गृहकर वार्षिक दर | मांग | योग | प्राप्ति | वसूली हेतु शेष राशि ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 39690 | 700 | 50 | 35000 | 74690 | 0 | 74690 |
| 2022-23 | 74690 | 720 | 50 | 36000 | 110690 | 95850 | 14840 |
| | नोटः– दिनाँक 31.03.2023 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि ₹ **14840/–** है। | | | | | | |

Pan.Naval Sachiv
Gram Panchayat Dhasoli
Dev Block Fatehpur Kangra (H.P.)

24

परिशिष्ट " 4 "

ग्राम पंचायत ढ़सोली , विकास खण्ड फतेहपुर, विवाह पंजीकरण शुल्क दिनांक 31-03-2023 तक वसूली हेतु शेष (पैरा संख्या " 7.2 " में संदर्भित)

| क्र० सं० | नाम | विवाह की तिथि | पंजीकरण तिथि | वसूली योग्य राशि | वसूली गई राशि | कम वसूली गई राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | संदीप कुमार | 02.05.2021 | 27.05.2021 | ₹ 200 | ₹ 0 | ₹ 200 |
| 2 | राज कुमार | 26.04.2021 | 27.05.2021 | ₹ 400 | ₹ 0 | ₹ 400 |
| 3 | नरेश कुमार | 04.05.2021 | 20.05.2021 | ₹ 200 | ₹ 0 | ₹ 200 |
| 4 | रिम्पू शर्मा | 04.05.2021 | 20.05.2021 | ₹ 200 | ₹ 0 | ₹ 200 |
| 5 | रमेल सिंह | 28.07.2021 | 05.08.2021 | ₹ 200 | ₹ 0 | ₹ 200 |
| 6 | शक्ति सिंह | 02.08.2021 | 23.08.2021 | ₹ 200 | ₹ 0 | ₹ 200 |
| 7 | राज कुमार | 12.08.2021 | 28.08.2021 | ₹ 200 | ₹ 0 | ₹ 200 |
| 8 | शीतल कुमार | 07.10.2021 | 23.10.2021 | ₹ 200 | ₹ 0 | ₹ 200 |
| 9 | पंकज कुमार | 14.10.2021 | 02.11.2021 | ₹ 200 | ₹ 0 | ₹ 200 |
| 10 | रोहित कुमार | 12.04..2021 | 29.04.2021 | ₹ 200 | ₹ 0 | ₹ 200 |
| 11 | मोहित चौधरी | 01.12..2021 | 20.12.2021 | ₹ 200 | ₹ 0 | ₹ 200 |
| 12 | दिनेश सिंह | 06.12..2021 | 12.01.2022 | ₹ 200 | ₹ 0 | ₹ 200 |
| 13 | राकेश कुमार | 10.05.2022 | 05.12.2022 | ₹ 400 | ₹ 200 | ₹ 200 |
| 14 | अभिशेक कुमार | 21.01.2023 | 17.04.2023 | ₹ 400 | ₹ 200 | ₹ 200 |
| | | | कुल | ₹ 3,400.00 | ₹ 400.00 | ₹ 3,000.00 |

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Dhasoli
Dev Block Fatehpur Tarapur 31.03.2023

25

परिशिष्ट–"5"

ग्राम पंचायत ढ़सोली विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ,स्टॉक/स्टोर की कय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना व औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर कय करना। पैरा संख्या– "8.1" 8.2 में संदर्भित।

| अनुदान | वो.स./ दिनांक | समाग्री का विवरण | विल.स./ दिनांक | आपूर्तिकर्ता | मात्रा | रेट | राशि ₹ | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.SDP | 02/25.03.22 | RCC Hume Pipe(18%GST) | 808/29.04.22 | M/S Soorya Enterprises Nagrotu Darkati | 3 | 8496 | 25488 | स्टॉक प्रविष्टि, निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई |
| 2.14TH FC | 26-34/22.03.22 | Cemented Bench(18%GST) | 50-58/18.03.22, 19.03.22 | M/S Mahakaal Traders Trilokpur Jawali | 52 | 6700 | 348400 | स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई |
| 3.MNREGA | 09/NIL | Sand | 808/29.04.22 | M/S Amar Singh Harnota Jawali | 18 | 1400 | 25200 | स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई |
| | | Agg. | | | 38 | 1300 | 49400 | |
| 4.SDP | 01/25.03.22 | Cement Bag | 985/21.04.22 | H.P State civil Supply Fatehpur | 130 | 344.7 | 44811 | स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई |
| | | | | | | G/Total | 493299 | |

नोट :- 1. क्रम संख्या 1 की औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया था।
2. क्रम संख्या 1 से 4 तक की स्टॉक प्रविष्टियां का इन्द्राज नहीं किया गया था।

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Dhasoli
Vikas Khand Fatehpur Kangra (H.P.)

26

परिशिष्ट– 6

ग्राम पंचायत ढसोली खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि (पैरा संख्या–"8.3" के सन्दर्भ में)

| Name of Supplier | Vr. No. & Date | Bill No. & Date | Name of Item | Qty. (cum) | Determining Fator | Qty. (in MT.) | Royality (Per MT.) | Due Royality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14TH FC | | | | | | | | |
| M/s Amar Singh Harnota Jawali | 06/22.05.2022 | 01/10.04.2022 | Sand | 17.000 | 1.62 | 27.540 | 80 | 2203.20 |
| | | | Bajri | 32.000 | 1.52 | 48.64 | 80 | 3891.20 |
| | | | Stone | 30.000 | 2.24 | 67.200 | 80 | 5376.00 |
| | | | | | | | Total | 11470.40 |
| 2.MNREGA | | | | | | | | |
| do | 09/nil | nil/25.03.202 | Sand | 18.000 | 1.62 | 29.160 | 80 | 2332.80 |
| | | | Bajri | 38.000 | 1.52 | 57.760 | 80 | 4620.80 |
| | | | | | | | Total | 6953.60 |
| | | | | | | | Total(1+2) | 18424.00 |
| | | | | | | | 25% Penalty | 4606.00 |
| | | | | | | | G.Total | 23030.00 |

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Dhasoli
Dev Block Tarangna Kangra (H.P.)

परिशिष्ट '7' पैरा 4(ख), 5 से सम्बन्धित

# कार्यालय ग्राम पंचायत ढ़सोली,विकास खण्ड फतेहपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0176021

## बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत ढ़सोली के दिनांक 01.04.2021 व 31.03.2023 को बैंक शेषः–

| क | अनुदान | बैंक | खाता संख्या | बैंक शेष 01.04.21को | बैंक शेष 31.03.23 को |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्वःस्त्रोत | का•के•सह•बैंक राजा का तालाब | 20030005458 | 195455.27 | 385570.27 |
| 2 | तीसरा वित | का•के•सह•बैंक राजा का तालाब | 50051390713 | 149715 | 173929 |
| 3 | एम.पी.लेड | का•के•सह•बैंक राजा का तालाब | 50051779210 | 3452 | 3657 |
| 4 | वी.के.वी.एन.वाई | का•के•सह•बैंक राजा का तालाब | 50051390576 | 8549 | 35907 |
| 5 | एस.डी.पी. | का•के•सह•बैंक राजा का तालाब | 50051390496 | 7744 | 261608 |
| 6 | ए.ए.वाई | का•के•सह•बैंक राजा का तालाब | 50051390269 | 2676 | 1732 |
| 7 | जेड.पी | का•के•सह•बैंक राजा का तालाब | 50051390474 | 15136.42 | 16040.42 |
| 8 | एस.बी.एम. | का•के•सह•बैंक राजा का तालाब | 50051390543 | 195 | 0 |
| 9 | 14वाँ वित्तायोग | का•के•सह•बैंक राजा का तालाब | 50062941295 | 1171838.26 | 143174.26 |
| 10 | 15वाँ वित्तायोग | का•के•सह•बैंक राजा का तालाब | 50071774468 | 525613 | 2066911 |
| 11 | हस्तगत शेष | | | 0 | 0 |
| | | | कुल जोड. | 2080373.95 | 3088528.95 |

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Dhasoli
Dev Block Fatehpur Kangra (H.P.)